

फर्दअहकाम
(नियम-26)

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर
अप्रार्थीगण

प्राधीगण

हीनाराम

बनाम

राजकार

प्रकरण : रा.सा.पत्र

प्रकरण सं. 46/2022

क्र.सं.	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामिल में जारी हुये
1/22	<p>प्रार्थना पत्र प्राधी ने मय शपथ पत्र जरिये अधिवक्ता श्री. इर. 01111/22 को अर्जित करके अर्जित धारा 136 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। मिसल दिनांक 01/06/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>for</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p> <p>अज्ञात/पक्षकाराव के अधिकार 01/06/22</p> <p>वेबसाइट पर अपील की प्रतिक्रिया/प्रतिक्रिया प्रकाश पर अपील है, इसलिए प्रतिक्रिया के समस्त दिनांक 17/6/22 को प्रकाशित है।</p> <p>अज्ञात/पक्षकाराव के अधिकार 17/6/22</p> <p>वेबसाइट पर अपील की प्रतिक्रिया/प्रतिक्रिया प्रकाश पर अपील है, इसलिए प्रतिक्रिया के समस्त दिनांक 29/6/22 को प्रकाशित है।</p> <p>29/6/2022</p> <p>वकुलाय उप) अप्रार्थी का सम्मन बाद तामिल पत्रावली पर उपलब्ध है भू.अ. निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट पेश की सा. मि. ही मिसल वास्ते सादर हेतु दिनांक 7/7/2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>for</i> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल</p> <p>अज्ञात/पक्षकाराव के अधिकार 7/7/22</p> <p>वेबसाइट पर अपील की प्रतिक्रिया/प्रतिक्रिया प्रकाश पर अपील है, इसलिए प्रतिक्रिया के समस्त दिनांक 14/7/22 को प्रकाशित है।</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज

14.7.22

पत्रावली सफ़्तुल साह्य पेज करके देना
एक अनापक मोल जाहा, दिया जाना
पत्रावली दिनांक 20.7.22 को पेज की

JW
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायपुर

20.7.22

पत्रावली सफ़्तुल पत्रावली जल आदेशिका
की पालना में दिनांक 27.9.22 को पेज की

JW
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायपुर

19/9/22

प्राथी की और से एक प्रार्थना-पत्र
प्रस्तुत कर पत्रावली जरिचे विहीन
खारिज करने का निवेदन दिया।
प्राथी को सुना गया। प्राथी प्रार्थना-
पत्र चलाना नहीं चाहता है।
अतः प्रार्थना पत्र जरिचे विहीन
खारिज किया जाता है। मिलल वरु
जाफ़ा कार्यवाही दारखिल दफ़ार रहे।

JW
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायपुर